



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ : Plexh / Cir/512

दिनांक : 14-10-2026

से,

Plexconcil के सभी सदस्य/ COA सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सीमा शुल्क टैरिफ (भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2026 के संबंध में।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5(1) के अंतर्गत **अधिसूचना संख्या 82/2026-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 12 अक्टूबर 2026 जारी की है**, जो सीमा शुल्क टैरिफ (भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत माल की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2026 को अधिसूचित करती है। ये नियम **20 अक्टूबर 2026**

को लागू होंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिसूचना पर ध्यान दें और भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत माल की उत्पत्ति का निर्धारण करने और तरजीही टैरिफ उपचार का दावा करने के लिए नियमों के तहत निर्धारित विस्तृत प्रावधानों, शर्तों और प्रक्रियाओं का संदर्भ लें।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करें: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202610141209_34.pdf

मैंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे ऊपर दी गई बातों पर ध्यान दें और लागू नियमों का पालन पक्का करें।

सादर,

भारती परावे,

डिप्टी डायरेक्टर (ट्रेड और पॉलिसी)

प्लेक्सकॉन्सिल